



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 20 जुलाई, 2021

आषाढ़ 29, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग-3

संख्या 542/36-03-2021-38(सा0)-2021

लखनऊ, 20 जुलाई, 2021

अधिसूचना

प0आ0-255

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1962) की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निदेश देती हैं कि उक्त अधिनियम के समस्त उपबन्ध इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से जिला अयोध्या के हैदरगंज बाजार, हरिकटनगंज एवं मवई चौराहा के क्षेत्र में स्थित समस्त दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों के लिये लागू होंगे।

आज्ञा से,
सुरेश चन्द्रा
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 542/XXXVI-03-2021-38(sa.)-2021, dated July 20, 2021:

No. 542/XXXVI-03-2021-38(sa.)-2021

Dated Lucknow, July 20, 2021

IN exercise of the powers under sub-section (3) of section 1 of the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhistan Adhinyam, 1962 (U.P. Act no. XXVI of 1962), the Governor is pleased to direct that all the provisions of said Adhinyam shall, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, apply to all shops and commercial establishments situated in Hyderganj Bazar, Hariktanganj and Mawai Chauraha area of district Ayodhya.

By order,
SURESH CHANDRA,
Apar Mukhya Sachiv.